



पत्रांक: CCE/P&C/ISDC/Plantation/2019/ 998

Date: 29th. July 2019

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: महाविद्यालयों में हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण करवाये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ: आकाशि का पत्रांक CCE/P&C/ISDC/RACE/2019/946; Date: 12th July 2019 के क्रम में।

महोदय,

दिनांक 12 जुलाई 2019 को माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाविद्यालयों में वृक्षारोपण कार्य हेतु हरित राजस्थान अभियान का आगाज करते हुए निर्देशित किया गया था। प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो चुका है। अतः हमें महाविद्यालय में वृक्षारोपण की गतिविधि को भी समारोहपूर्वक बड़े पैमाने पर करना है। इसी के सम्बंध में लेख है कि –

1. सभी राजकीय महाविद्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि उनके द्वारा इस वर्ष उतने पेड़-पौधे लगवाये जाने का संकल्प लेना है जितने के नवीन विद्यार्थियों ने संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश लिया है।
2. पेड़-पौधे लगवाये जाने के समय ही उनकी अथवा पेड़-पौधे समूह की रक्षा का दायित्व विद्यार्थियों को व्यक्तिशः अथवा टीम के रूप में देते हुए उनसे इन पेड़-पौधों की वृक्ष-मित्र के रूप में रक्षा का संकल्प करवाना है ताकि उनमें दायित्व बोध जागृत रहे।
3. महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने की दशा में निकटस्थ सार्वजनिक स्थान पर संबंधित सक्षम स्तर से पूर्वानुमति लेकर भी यह वृक्षारोपण कार्यक्रम करवाया जा सकता है।
4. इस कार्यक्रमान्तर्गत करवाये गये वृक्षारोपण में लगाये जाने वाले पेड़-पौधों में छायादार/फलदार/स्वस्थ- स्वच्छ वातवरण परक पेड़-पौधों को प्राथमिकता प्रदान करें। साथ ही, लगवाये गये सभी पेड़-पौधों एवं वृक्ष-मित्रों का रिकार्ड यथा पेड़-पौधे का सामान्य एवं वानस्पतिक नाम, उसका लाभ/उपयोग, वृक्षारोपण का दिवस तथा वृक्ष-मित्र का नाम आदि का उल्लेख रिकार्ड में अंकित करवाये एवं एक छोटी सी पट्टिका लगवाये गये पेड़-पौधे पर भी लगवाकर लिखवायें।
5. पेड़-पौधे के लिये वन-विभाग के निकटस्थ कार्यालय/नर्सरी से सम्पर्क करें।

प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
आयुक्त कालेज शिक्षा, एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा; राजस्थान

पत्रांक: CCE/P&C/ISDC/Plantation/2019/999-1000; Date: 29th. July 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. सभी संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
8. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर।
9. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान